प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4235608000324

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
सीतापुर।

संख्याः 1/2685/2016–1/82/2015 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2016

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–16/2015/1312/33–3–2015–100(21)/2014 दिनांक 15 मई, 2015 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रू0–26,18000/– रूपया छब्बीस लाख अट्ठारह हजार मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2015–16 में प्राविधानित एवं आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

2– प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

3– नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

4– प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/समक्ष लोक आर्थोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

5– इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हों।

6– प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाये एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।।

7– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2015–16 की अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–2/2015/बी–1–925/दस–2015–231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगें।

9– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या– 14 के लेखाशीर्षक "4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा

तथा कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय–03–ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायगा।

11– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–बी–2–2528 / दस–2014–10–77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं औचित्य का परीक्षण शासन स्तर से कराये जाने के बाद ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलो का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका / कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों / शर्तो का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

12– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934 / दस–2008 –मित–1 / 2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

13– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

14– उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

15– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– 102 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1 / 2085 / 21 / 1 / 2015 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
2– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4– जिलाधिकारी, सीतापुर ।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर।
6– मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), लखनऊ मण्डल लखनऊ।
7– उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय उ0प्र0।
8– एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016
आवंटन दिनांक-30/03/2016

प्रेषण संख्या:- 1\2085\2015-16\82\2015
आवंटन आदेश संख्या:- 004-82-2015
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
03 - ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2618000 27692000	2618000 27692000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2618000 27692000	2618000 27692000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छब्बीस लाख अठारह हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ छिहत्तर लाख बानवे हजार

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी